

- थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 25 हजार रूपये का इनामी/वांछित शातिर अभियुक्त दौराने मुठभेड़ घायल/गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज असलहा व एक मोटरसाइकिल बिना नम्बर बरामद।

आज दिनांक 26.10.2020 को सुबह समय करीब 09:40 बजे सिंघावली अहीर क्षेत्रांतर्गत तेडा से बिलोचपुरा रोड पर सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान बदमाश से मुठभेड़ हुई। जिसमें शातिर गौतस्कर बिलाल पुत्र अलीयार निवासी ग्राम बिलोचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार हुआ है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज तमंचा 315 बोर मय खोखा व जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल पैषन बिना नम्बर बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त बिलाल शातिर किस्म का गौतस्कर है तथा थाना सिंघावली अहीर का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर व टॉप-10 सूची का अपराधी है। यह थाना सिंघावली अहीर के मु0अ0सं0 237/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त बिलाल के विरुद्ध जनपद बागपत के थाना सिंघावली अहीर पर गौवध, एनडीपीएस, गुण्डा व गैंगस्टर अधिनियम सहित 15 अभियोग पंजीकृत हैं। सिंघावली अहीर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

बिलाल पुत्र अलीयार निवासी ग्राम बिलोचपुरा थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत।

बरामगी का विवरण-

1-एक नाजायज तमंचा 315 बोर मय खोखा व जिंदा कारतूस।

2-एक मोटरसाइकिल पैषन बिना नम्बर।

अभियुक्त बिलाल का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 1561/05 धारा 3/8 गौवध अधि0 व 3/11 पशु क्रुरता अधि0 थाना सि0अहीर जिला बागपत

2-मु0अ0स0 1568/05 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सि0अहीर जिला बागपत

3-मु0अ0स0 96/06 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 3/11 पशु क्रुरता अधि0 थाना सि0अहीर जिला बागपत

4-मु0अ0स0 169/06 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सि0अहीर जिला बागपत

5-मु0अ0स0 335/10 धारा 8/15 एनडीपीएस थाना सि0अहीर जिला बागपत

6-मु0अ0स0 417/10 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सि0अहीर जिला बागपत

7-मु0अ0स0 464/10 धारा 3 युपी गुण्डा अधि0 थाना सि0अहीर जिला बागपत

8-मु0अ0स0 278/12 धारा 15/8 एनडीपीएस एक्ट थाना सिं0अहीर जिला बागपत

9-मु0अ0स0 404/12 धारा 25/4 षत्र एक्ट थाना सिं0अहीर जिला बागपत

10-मु0अ0स0 450/12 धारा 3 यूपी गुण्डा अधि0 थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत

11-मु0अ0स0 368/13 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सि0अहीर जिला बागपत

12-मु0अ0स0 81/15 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सि0अहीर जिला बागपत

13-मु0अ0स0 09/2020 धारा 3/8 गौवध अधि थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत

14-मु0अ0स0 27 / 2020 धारा 3 / 5ए / 8 गौवध अधि0 थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत

15-मु0अ0स0 237 / 2020 धारा 2 / 3 गैंगस्टर अधि0 थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक शिवप्रकाश सिंह
2. उप0नि0 शिवशंकर सिंह
3. उप0नि0 रामकिशन शर्मा
4. है0का0 243 महेन्द्र सिंह
5. का0 342 सुनील कुमार
6. का0 166 कुलदीप कुमार

➤ **अभियान के दौरान अवैध षराब की तस्करी करने वाले 13 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 21 पेटी(189 लीटर) देषी/अंग्रेजी षराब हरियाणा/यूपी मार्का व एक चाकू नाजायज बरामद।**

थाना सिंघावली अहीर-पुलिस द्वारा दिनांक 25.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान जंगल ग्राम बसौद से अभियुक्त आजाद पुत्र आसमौहम्मद निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 48 अर्धे देषी षराब हरियाणा मार्का व 01 चाकू नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बागपत-पुलिस द्वारा दिनांक 25.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान ग्राम बली गेट से अभियुक्त रामकुमार पुत्र रतिराम निवासी ग्राम चौहल्दा थाना बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 48 पक्के देषी षराब यूपी मार्का बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बिनौली-पुलिस द्वारा दिनांक 25.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना क्षेत्र से अभियुक्त 1-अरुण पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम माखर थाना बिनौली 2-दीपक पुत्र मैनपाल निवासी ग्राम खपराना थाना बिनौली 3-राजवीर पुत्र ब्रहमसिंह निवासी ग्राम गवालीखेडा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त अरुण के कब्जे से 40 पक्के दीपक से 48 पक्का व राजवीर के कब्जे से 24 बोतल देषी षराब यूपी/हरियाणा मार्का बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना चांदीनगर-पुलिस द्वारा दिनांक 25.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना क्षेत्र से अभियुक्त 1-प्रदीप पुत्र लख्मी निवासी ग्राम चमरावल थाना चांदीनगर 2-जोनी पुत्र तिरखा निवासी ग्राम फुलेरा थाना चांदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त प्रदीप के कब्जे से 40 पक्का व जोनी के कब्जे से 27 पक्का देषी षराब यूपी मार्का बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बडौत-पुलिस द्वारा दिनांक 26.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना क्षेत्र से अभियुक्त 1-सुखदेव पुत्र राममेहर निवासी ग्राम खेडा इस्लामपुर थाना बडौत 2-सुभाष पुत्र सतयवीर निवासी ग्राम लोयन मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त सुखदेव के कब्जे से 06 पेटी व सुभाष से 04 पेटी देषी षराब यूपी/हरियाणा मार्का

बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना दोघट—पुलिस द्वारा दिनांक 25.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम सूजती से अभियुक्त 1—बिन्दर पुत्र उमरसिंह निवासी ग्राम सूजती थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 20 पच्चा देषी षराब यूपी मार्का, 40 पच्चा खाली, 15 ढक्कन, एक कीप, 01 किलोग्राम यूरिया बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना बालैनी—पुलिस द्वारा दिनांक 25.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना क्षेत्र से अभियुक्त 1—सतीष पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम घिटौली थाना बालैनी 2—राकेश पुत्र चरणसिंह निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी 3—राहुल पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम डौलचा थाना बालैनी जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त सतीष के कब्जे से 48 पच्चा, राकेश के कब्जे से 30 पच्चा व राहुल के कब्जे से 25 पच्चा देषी षराब यूपी मार्का बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➤ **जुआ अधिनियम के अर्न्तगत 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पर्चा सटटा व 470 रूपये नगद व एक चाकू नाजायज बरामद।**

थाना दोघट—पुलिस द्वारा दिनांक 25.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर पलडी नहर पुलिया से सटटे की खाईवाडी करते हुए अभियुक्त कृष्णपाल पुत्र ईश्वरसिंह निवासी ग्राम पलडी थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से पर्चा सटटा व 250 रूपये व एक चाकू नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना छपरौली—पुलिस द्वारा दिनांक 26.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम षबगा से सटटे की खाईवाडी करते हुए अभियुक्त अनिल पुत्र रतन निवासी ग्राम षबगा थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से पर्चा सटटा व 220 रूपये बरामद किये गये। अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।